चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3371
दिनांक : 01.02.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

समस्त विभागाध्यक्ष /समन्वयक/निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

विषयः— उ0प्र0 के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संचालित रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के परिप्रेक्ष्य में चौरी—चौरा एवं स्वतंत्रता संग्राम में शोध एवं संकलन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया शासन के संलग्न पत्र संख्या—286/सत्तर—4—2021 दिनांक 29 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जिसके द्वारा उ0प्र0 के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संचालित रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के परिप्रेक्ष्य में चौरी—चौरा एवं स्वतंत्रता संग्राम में शोध एवं संकलन के संबंध में निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में शासन के पत्र के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अपेक्षा है कि आप शासन के संलग्न पत्र के आलोक में अपने—अपने महाविद्यालय/संस्थान/विभागों में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

01-02-2021

कुलसचिव

प्रतिलिपि :—

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति—कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. प्रभारी, वेबसाइट
04. प्रेस प्रवक्ता।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या : 286/सत्तर-4-2021

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

2- कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक : 29 जनवरी, 2021

विषय : "उ0प्र0 के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संचालित रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के परिप्रेक्ष्य में चौरी-चौरा एवं स्वतंत्रता संग्राम में शोध एवं संकलन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018, दिनांक 15.12.2020 द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के दिशा-निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किए गए हैं। उक्त योजना में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के सभी शोधकर्ता से संबंधित परियोजना प्रस्ताव को उपलब्ध कराने हेतु सम्मिलित किया गया है और विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबन्धन तथा अन्य विषयों के प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है।

2. उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रस्ताव जो उ0प्र0 विशेष के संदर्भ/परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति एवं विरासत आदि के संदर्भ में बनाए गए हों, उन्हें वरीयता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

3. प्रदेश में 04 फरवरी, 2021 से एक वर्ष के दौरान आयोजित किए जा रहे चौरी-चौरा के कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं एवं अपने-अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों द्वारा शोधकार्य एवं लेखन को प्रोत्साहित किया जाए।

4. स्वतंत्रता संग्राम के स्थलों/तिथियों/घटनाओं पर वास्तविक लेखन कराया जाए। निजी संग्रह में अनेक महानुभावों द्वारा तत्कालीन समाचार पत्रों, फोटो तथा अन्य अभिलेखों के संग्रह को प्राप्त करने हेतु कार्य–योजना बनायी जाए।

5. शोध कार्य उत्कृष्ट स्तर के हों जिसमें इतिहास के विभिन्न पहलुओं के अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों में प्रचलित परम्पराओं की जानकारियाँ गीत आदि का भी संकलन किया जाए।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। भारत की इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार विश्वविद्यालयों की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ–साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

7. चौरी–चौरा शताब्दी समारोह दिनांक 04.02.2021 से 04.02.2022 तक किया जा रहा है। अतः भारतीय संस्कृति एवं विरासत/स्वास्थ्य/पर्यावरण/शिक्षा एवं तकनीक से संबंधित शोध कार्यों हेतु इतिहास व पुरातत्व विभाग, भाषा विकास के लिए कार्य–योजनायें बनाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल से 31 मई तक शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
29/1
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 286 (1)/सत्तर–3–2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
(सर्वेश कुमार सिंह)
उपसचिव।